



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128951

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19114 वर्ष 2026

कासिम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद अशरफ

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद अशरफ की ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता श्री हसन परवेज और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. नोटिस की तामीली के बावजूद, वर्तमान जमानत आवेदन का विरोध करने के लिए विपक्षी संख्या- 5/प्रथम सूचनादाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. वर्तमान जमानत आवेदन थाना शेरगढ़, जिला बरेली से संबंधित वाद अपराध संख्या- 42 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 137(2), 64(1) बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित घटना दिनांक 22.02.2026 को लगभग 16:00 बजे

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होना बताया गया है, जबकि प्राथमिकी दिनांक 23.02.2026 को 15:31 बजे दर्ज की गई थी। आवेदक को प्राथमिकी में नामजद किया गया है और उसमें यह आरोप लगाया गया है कि पीड़िता को उसके द्वारा बहला-फुसलाकर भगाया गया था। पुलिस द्वारा दिनांक 23.02.2026 को पीड़िता को बरामद किया गया और धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत उसका बयान दर्ज किया गया। उक्त बयान में उसने कहा कि उसके माता-पिता ने उसे डांटा था, जिसके कारण उसने दिनांक 22.02.2026 को अपना घर छोड़ दिया था। उसने आगे कहा कि उसने गुस्से में आकर अपना घर छोड़ा और अपनी चाची रेशमा के घर चली गई। जब पीड़िता से पूछताछ की गई कि क्या उसे आवेदक द्वारा बहला-फुसलाकर भगाया गया था, तो पीड़िता ने कहा कि इस मामले में आवेदक की कोई भूमिका नहीं थी और उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 25.02.2026 को धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने पिछले बयान को बदल दिया और कहा कि आवेदक द्वारा उसके साथ बलात्कार कारित किया गया था। यह आगे तर्क दिया गया है कि पीड़िता ने अपने माता-पिता के दबाव में धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत अपना बयान दिया था, और इसलिए, उसके द्वारा एक झूठी कहानी पेश की गई। पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं देखी गई। हालांकि, हाइमन पर लालिमा पाई गई थी। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 07.03.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भोगी गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त वाद अपराध में शामिल आवेदक- **कासिम** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बी.एन.एस. के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सीआरपीसी/ 351 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

24 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।